राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
86वीं बैठक दिनांक 05 अक्टूबर, 2023

कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 86वीं बैठक दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 को अपर मुख्य सचिव, वित्त, उतराखण्ड शासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सचिव, वित्त, अपर सचिव, ग्राम्य विकास, अपर सचिव, शहरी विकास, अपर सचिव, सहकारिता, अपर सचिव, पर्यटन, उतराखण्ड शासन, रेखीय विभागों के उच्च अधिकारियों, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं महाप्रबन्धक (नेटवर्क–2), भारतीय स्टेट बैंक, अध्यक्ष, इन्डस्ट्रियल एशोसियेशन, उत्तराखण्ड, राज्य में कार्यरत बैंकों के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक में एजेण्डेवार बिभिन्न बिन्दुओं पर निम्नवत चर्चा की गयी :

1. कृत कार्यवाही की रिपोर्ट (ATR) :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - पी.एम. स्वनिधि योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा निरस्त/लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की सूची समस्त सम्बन्धित बैंकों को निष्पादन हेतु प्रेषित की गयी है।
  - पशुपालन विभाग से एन.एल.एम. योजना अंतर्गत पोर्टल एवं पासवर्ड विषयक बैठक बैंकों के साथ आयोजित की जानी अपेक्षित है।
  - बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित 44 गांवों में से एक गांव (जिला रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ ब्लाक का ग्राम गरुड़िया) को छोड़कर 43 गांवों में बी.सी. के माध्यम से बैंकिंग सेवायें प्रदान की जा रही है।
  - बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित 44 गांवों की संख्या बढ़कर 45 हो गयी है। इसमें जिला हरिद्वार का ग्राम अहमदपुर चिड़िया का नाम शामिल हो गया है। उक्त गांव में एन.पी.ए. 5 प्रतिशत से अधिक होने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक से जिला सहकारी बैंक को शाखा खोलने हेतु लाईसेन्स प्राप्त नही हुआ है।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :
  - समस्त सम्बन्धित बैंक पी.एम.स्वनिधि योजना अंतर्गत लम्बित एवं निरस्त ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करें।
  - एस.एल.बी.सी., पशुपालन विभाग को एन.एल.एम. योजना अंतर्गत पोर्टल एवं पासवर्ड विषयक जानकारी प्रदान करने हेतु बैंकों के साथ बैठक आयोजित करने हेतु पत्र प्रेषित करें।

(कार्यवाही : एस.एल.बी.सी./पशुपालन विभाग/समस्त बैंक)

2. RBI Presentation on SLBC Functioning :

- क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - राज्य में विभिन्न योजनाओं/बैंकिंग गतिविधियों की प्रगति विषयक चर्चा हेतु 06 राज्य स्तरीय उप समितियों यथा : ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति, अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति, समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति, Deepening of Digital Payments / Financial Inclusion / New Branch Opening, स्टीयरिंग उप–समिति, ऋण–जमा अनुपात उप समिति का गठन किया गया है।
  - राज्य स्तरीय उपरोक्त उप–समितियों का पुर्नगठन किये जाने की आवश्यकता है।
  - राज्य स्तरीय उप–समितियों की बैठक का आयोजन नियमित समय सीमा में किया जाना चाहिए।
  - राज्य स्तरीय उप–समितियों की बैठक का आयोजन दो एस.एल.बी.सी. बैठक की मध्य में किया जाना चाहिए।
  - राज्य स्तरीय उप–समितियों की बैठक का आयोजन सम्बन्धित विभाग के सचिव की अध्यक्षता में किया जाना चाहिए।

- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ राज्य स्तरीय उप समितियों एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों के आयोजन हेतु अर्द्धवार्षिक/वार्षिक कलैण्डर तैयार किया जाना चाहिए।

(कार्यवाही : वित्त विभाग/एस.एल.बी.सी.)

3. <u>वार्षिक ऋण योजना 2023–24</u> :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्रथम त्रैमास में फार्म सेक्टर अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य रु. 13146.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 3731.00 करोड़ (28%) तथा एम.एस.एम.ई. सेक्टर अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य रु. 17506.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 8972.00 करोड़ (51%) की प्रगति दर्ज की गयी है।

➢ वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्रथम त्रैमास में वार्षिक ऋण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य रु. 34939.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 13494.00 करोड़ (39%) की प्रगति दर्ज की गयी है।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया है :

➢ अन्य सेक्टर की प्रगति की तुलना में अन्य प्राथमिक क्षेत्र अंतर्गत प्रगति कम है, जिसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। अतः समस्त बैंक इस क्षेत्र में प्रगति हेतु कार्य करें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

5. <u>सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनायें</u> :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्रथम त्रैमास में पी.एम.स्वनिधि योजना अंतर्गत 63%, ए.आई.एफ. में 46%, मुद्रा में 25%, एन.यू.एल.एम. में 16%, पी.एम.एफ.एम.ई. में 11%, पी.एम.ई.जी.पी. में 11%, एम.एस.वाई. में 11%, होम स्टे में 8%, एवं VCSGSY, वाहन में 11% की प्रगति दर्ज की गयी है।

➢ दिनांक 30.09.2023 तक पी.एम.ई.जी.पी. योजना अंतर्गत मार्जिन मनी वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य रु. 41.37 करोड़ के सापेक्ष बैंकों द्वारा रु. 23.30 करोड़ की राशि क्लेम की गयी है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 56% है। अतः विभाग से आग्रह है कि वे मार्जिन मनी क्लेम राशि का बैंकों को भुगतान करने का कष्ट करें।

➢ समस्त सम्बन्धित विभागों से आग्रह है कि वे योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के 150 प्रतिशत ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करें।

- अपर सचिव, शहरी, उत्तराखण्ड शासन द्वारा एन.आर.एल.एम. योजना विषयक सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ योजना अंतर्गत बैंकों में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की संख्या बहुत अधिक है तथा कुछ बैंकों की शाखाओं द्वारा अनुचित कारणों से ऋण आवेदन पत्रों को निरस्त किया जा रहा है अथवा लम्बित रखा जा रहा है।

➢ योजना अंतर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा लिये जा रहे स्टाम्प पेपर के मूल्य में एकरुपता नही है।

➢ योजना अंतर्गत समूहों के खाते एन.पी.ए. ना हो, इस विषयक समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

➢ कुछ बैंकों द्वारा योजना अंतर्गत अधिक ब्याज दर जार्च की जा रही है।

➢ बैंकों से आग्रह है कि वे 60 दिन से अधिक लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करें तथा अन्य लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समय सीमा में निस्तारण करें।

- उप महाप्रबन्धक (ए.बी.यू.), भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा एन.आर.एल.एम. योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा अधिक ब्याज दर्ज चार्ज करने विषयक, सदन को अवगत कराया गया कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्तरीय दर (Tiered Rate) से ऋण खातों में ब्याज दर लगाया जाता है। स्तरीय दर (Tiered Rate) के अनुसार खाते की शेष राशि के कुछ हिस्सों के लिए एक अलग ब्याज दर चार्ज की जाती है, जो निर्धारित राशि सीमा के भीतर आती हैं।

- अध्यक्ष, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 31 मार्च, 2022 तक रु. 5,00,000.00 (रु. पांच लाख मात्र) तक के कृषि सम्बन्धी क्रिया–कलापों के प्रयोजनार्थ लिये गये ऋणों हेतु निष्पादित बन्धक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की छूट राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी थी। अतः महोदय से आग्रह है कि उक्त छूट को पुनः लागू किया जाय।

- अपर सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे एवं वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना अंतर्गत बैंकों में लम्बित एवं निरस्त ऋण आवेदन पत्रों की संख्या अधिक है तथा स्वीकृत एवं वितरित ऋण आवेदन पत्रों की संख्या का अंतर अधिक है।
  - ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित नही है।
  - बैंकों से आग्रह है कि वे पर्यटन स्वरोजगार योजना अंतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण करें।

- मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली द्वारा समस्त बैंकों से निम्नवत आग्रह किया गया :
  - अनुचित कारणों से ऋण आवेदन पत्रों को निरस्त ना किया जाय।
  - पोर्टल में वापसी का उचित कारण अंकित किया जाय।
  - ऋण आवेदन पत्रों का समय सीमा में निस्तारण किया जाय।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया है :
  - एस.एल.बी.सी., राज्य में कार्यरत 5 प्रमुख बैंकों यथा : भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक एवं जिला सहकारी बैंक से समन्वय कर Standard Operating Procedure (SOP) तैयार करें तथा शासन से स्वीकृति उपरांत समस्त बैंकों एवं सम्बन्धित विभागों को प्रसारित करें।
  - एस.एल.बी.सी., कृषि सम्बन्धी क्रिया–कलापों के प्रयोजनार्थ लिये गये ऋणों हेतु निष्पादित बन्धक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की छूट विषयक पत्र शासन को प्रेषित करें।

(कार्यवाही : एस.एल.बी.सी./समस्त बैंक)

6. <u>एन.पी.ए.</u> :

<u>लम्बित वसूली प्रमाण पत्र</u> :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं यथा : एन.यू.एल.एम., एवं पी.एम.ई.जी.पी., योजनाओं में एन.पी.ए. का प्रतिशत अधिक है।
  - सम्बन्धित विभागों से आग्रह है कि वे एन.पी.ए. खातों में वसूली हेतु बैंकों का सहयोग करें।
  - शासन से आग्रह है कि जिला अधिकारियों को आर.सी. वसूली में कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा आर. सी. वसूली में कार्यवाही हेतु समस्त जिला अधिकारियों को पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही : वित्त विभाग)

7. <u>बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट</u> :

- अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा बैंक सखियों को B.C Certification Course कराया जा रहा है, जिससे कि वे बी.सी. का कार्य कर सकें।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

➢ सम्बन्धित बैंक, आई.पी.पी.बी. एवं सी.एस.सी. In-Active B.C. को Active करें तथा बी.सी. को B.C Certification Course करायें।

(कार्यवाही : सम्बन्धित बैंक, आई.पी.पी.बी. एवं सी.एस.सी.)

8. <u>NABARD</u> :

Chief General Manager, NABARD advise as under :

- Briefed about the Standard operating procedure (SoP) of the "Ghar Ghar KCC Abhiyan" and requested all to make it a success in the State. He informed that around 01 lakh farmers needs to be approached to fill-in the gap that exist in number of PM-Kisan benericiaries and KCC account holders.
- MSME credit flow data reported needs to be doubly verified for the as MSME credit growth is exponential and erratic.
- He also urged that the cooperative department need to grab the opportunity that is available under PACS as MSC. Issues related Agriculture Infrastructure fund (AIF), financial inclusion, etc. were also highlighted in the meeting.
- 07 districts of State have CD ratio is below 40%. To provide a thrust and direction to the efforts of the Bankers a booklet on 'State Level Banking Plan on Goat farming in Uttarakhand' was launched in the meeting.
- Bankers/ line departments being the members of the Project Monitoring and Implementation Committee (PMIC) and are requested to ensure participation for necessary cooperation.
- Inaccessibility of credit due to lack of collateral security or credit at very high rate of interest. The banks can avail facility of 'Credit Guarantee Fund' (available with NABARD) while financing the FPOs. This provides credit guarantee cover upto Rs. 2.00 crore per FPOs.

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

✓ कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घर घर के.सी.सी. अभियान दिनांक 01.10.2023 से 31.12.2023 तक प्रारम्भ किया गया है।

✓ उक्त अभियान के अंतर्गत अल्पकालिक कृषि ऋण से वंचित पी.एम. किसान लाभार्थियों को बैंकों द्वारा के.सी.सी. के माध्यम से लाभान्वित किया जाना है।

✓ कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी SoP समस्त बैंकों को उनकी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

✓ समस्त बैंकों से आग्रह है कि वे उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

8. <u>प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)</u> :

- सहायक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ 17304 आवास घटक उक्त योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये है।

➢ मात्र 03 आवास घटक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

- निबन्धक सहकारिता द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उक्त योजना अंतर्गत 5000 आवास घटक जिला सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत कर दिये जायेंगे।
- पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि जिन स्थानों पर हमारे बैंक की शाखायें हैं, वहॉ पर योजना अंतर्गत अन्य आवास घटकों को स्वीकृत करने हेतु प्रयास किया जायेगा।
- भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि इस विषयक बैंक बोर्ड से विचार विमर्श उपरांत उचित निर्णय लिया जायेगा।

(कार्यवाही : SBI/ PNB/ BOB/ UGB/ DCB)

9. <u>ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio)</u> :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्रथम त्रैमास में राज्य का ऋण जमा अनुपात 52 प्रतिशत है।

➢ राज्य के 08 जिलों यथा : देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत का ऋण–जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है।

➢ ऋण–जमा अनुपात बढ़ाये जाने हेतु बैंकों को कृषि एवं एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में big ticket size के साथ–साथ अधिक संख्या में small ticket size के ऋण करने चाहिए।

- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा ऋण जमा अनुपात बढाये जाने हेतु निम्नवत सुझाव दिया गया :

➢ बैंकों द्वारा कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में कृषकों को उनकी आवश्यकता अनुसार विभिन्न गतिविधियों हेतु निर्धारित scale of finance से अधिक ऋण भी वितरित किया जा सकता है।

➢ कृषि क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं यथा : AIF, PMFME, Agri-clinic and Agri-business Centres Scheme, FPO, JLG आदि योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रदान कर ऋण जमा अनुपात बढ़ाया जा सकता है।

- उप महाप्रबन्धक (ए.बी.यू.), भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किसान समृद्वि योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके अंतर्गत Apple, Tissue Culture, Kiwi, Banana आदि फसलों हेतु ऋण प्रदान किया जाता है।

➢ उक्त योजना अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, जहां पर उक्त फसलों के उत्पादन की सम्भावना है, उन क्षेत्रों में ऋण निर्गत करना प्रारम्भ कर दिया गया है। अतः इससे भी ऋण जमा अनुपात में बृद्वि होगी।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

10. <u>Provision and Applicability of Shops & Establishment (S&E) Act on Banks</u> :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ भारतीय बैंक संघ द्वारा प्राप्त पत्रांक RB/MBR.S&E/11354 दिनांक 14.07.2023 के माध्यम से संयोजक, एस.एल.बी.सी. को निम्नवत अवगत कराया गया है :

✓ देश के कुछ राज्यों में बैंकों (निजी एवं बिदेशी बैंकों सहित) को Shops & Establishment (S&E) Act में छूट प्रदान की गयी है।

✓ वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार समस्त श्रेणी के बैंकों हेतु उक्त एक्ट में छूट चाहती है, जिससे कि बैंक, बिना व्यवधान के अपना व्यवसाय सुचारु रुप से कर सके।

✓ वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समस्त राज्यों के मुख्य सचिव को दिनांक 02.05.2022 को प्रेषित पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि इस विषयक मामले की जांच कर, Shops & Establishment (S&E) Act में उपयुक्त सुधार किया जाय, ताकि उक्त एक्ट में समस्त श्रेणी के बैंकों को उपयुक्त छूट प्राप्त हो सके।

✓ अतः अध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि इस विषयक आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा वित्त विभाग को इस विषयक आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही : वित्त विभाग)

11. <u>ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs)</u> :

- राज्य निदेशक, आरसेटी द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ राज्य में कार्यरत आरसेटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रशिक्षण पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति, समस्त आरसेटी को ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त हो गयी है।

➢ वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रशिक्षण पर किये गये व्यय की 25 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति, आरसेटी को ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त हो गयी है। विभाग से अवशेष राशी की प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करते हैं।

➢ जिला अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी एवं यू.एस. नगर में आरसेटी स्वयं के भवन में कार्यरत है। जिला पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, नई टिहरी में प्रशासन द्वारा भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित की गयी है। जिला हरिद्वार, चम्पावत एवं नैनीताल में भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

➢ आरसेटी देहरादून को भवन निर्माण हेतु भूमि का आवंटन किया जाना अवशेष है। अतः अध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि इस विषयक आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें, ताकि उक्त आरसेटी हेतु भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

➢ आरसेटी, उत्तरकाशी हेतु आवंटित भूमि का ग्राम्य विकास विभाग सर्वे कर सुनिश्चित करें कि आवंटित भूमि उपयुक्त स्थान पर स्थित है, अन्यथा आरसेटी उत्तरकाशी को उपयुक्त स्थान पर भूमि आवंटित की कार्यवाही करें।

➢ ग्राम्य विकास विभाग, आरसेटी देहरादून को आरसेटी भवन निर्माण हेतु उपयुक्त स्थान पर भूमि आवंटित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही : ग्राम्य विकास विभाग)

सहायक महाप्रबन्धक
(राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड)